

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 420] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 1981/पौष 10, 1903
No. 420] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 1981/PAUSA, 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 दिसम्बर 1981

सं० 207/81 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां. क.० वि० 680(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के
उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त
मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 291/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 12 सितम्बर
1977 में एतद्वारा विम्वसिद्ध और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, अंक, अक्षर और शब्द "31 दिसम्बर 1981" के स्थान पर अंक,
अक्षर और शब्द "31 दिसम्बर 1982" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

[फा० सं० 83/7/81 के० उ० मू०-3]

जी० एम० भागवन्दाजी, प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1981

No. 207/81-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 680(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 291/77-Central Excises, dated the 12th September, 1977, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words “31st day of December, 1981”, the figures, letters and words “31st day of December, 1982” shall be substituted.

[F. No. 83/7/81-CX.3]

G. N. BHAGCHANDANI, Under Secy.